

कांवड़ यात्रा मार्गों को लेकर निर्देशों पर अंतरिम रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा

नाम लिखना जरूरी नहीं, भोजन का ब्योरा दें नीट : हंगामे के बीच विपक्ष का बहिर्गमन

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा जारी उन निर्देशों पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी, जिनमें कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा, भोजनालय के मालिकों के नाम लिखना जरूरी नहीं, भोजन का ब्योरा जरूर दें।

विपक्ष ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकारों के इन निर्देशों का उद्देश्य धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देना है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया और उनसे निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर



जवाब देने को कहा।

मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर निगम ने भी दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का शनिवार को निर्देश दिया था। पीठ ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी करने के साथ ही कहा कि भोजनालयों के लिए यह प्रदर्शित करना आवश्यक किया जा सकता है कि वे किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं, जैसे कि वे

**पीठ** ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया और उनसे निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने को कहा। **शीर्ष अदालत** ने राज्य सरकारों के निर्देश को चुनौती देने वाली सांसद महुआ मोइत्रा, शिक्षाविद अपूर्वानंद झा, स्तंभकार आकार पटेल और गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन आफ प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स’ की याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।

शाकाहारी हैं या मांसाहारी।

पीठ ने इस मामले पर आगे की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने कहा कि हम उपरोक्त निर्देशों के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। दूसरे शब्दों में, खाद्य विक्रेताओं को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जा सकता है कि उसके पास कौन से खाद्य पदार्थ हैं लेकिन उन्हें मालिकों, कर्मचारियों के

नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से सोमवार को अदालत में कोई पेश नहीं हुआ। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों के निर्देश को चुनौती देने वाली सांसद महुआ मोइत्रा, शिक्षाविद अपूर्वानंद झा, स्तंभकार आकार पटेल और गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन आफ प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स’ की याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। पीठ ने सुनवाई की शुरुआत में मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से पूछा कि क्या इस मामले में कोई औपचारिक आदेश पारित किया गया है। सिंघवी ने कहा कि भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड का आदेश पहचान के आधार पर बहिष्कार है और यह संविधान के खिलाफ है। ‘एसोसिएशन फार प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स’

बाकी पेज 8 पर

लोकसभा में प्रधान व विपक्षी नेताओं में तीखी बहस

नाम लिखना जरूरी नहीं, भोजन का ब्योरा दें नीट : हंगामे के बीच विपक्ष का बहिर्गमन

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जुलाई।

संसद के बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा ( नीट ) को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पूरे विपक्ष ने बहिर्गमन कर अपना विरोध दर्ज कराया।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में यह मुद्दा उठाया और दावा किया कि देश के करोड़ों छात्रों एवं देशवासियों को इस बात का यकीन हो गया है कि भारतीय

परीक्षा प्रणाली एक धोखे वाली है। जिसके पास पैसा है, वह इस पूरी प्रणाली को खरीद सकता है।

इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार करते हुए सवाल किया कि क्या वर्ष 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा में सुधार से जुड़ा विधेयक निजी मेडिकल कालेजों के दबाव में वापस ले लिया था ? उन्होंने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष का पूरी परीक्षा प्रणाली को ‘बकवास’ कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद पूरे विपक्ष ने बहिर्गमन किया।

राहुल गांधी ने प्रश्नकाल के दौरान नीट का मुद्दा उठाते हुए कहा, ‘देश की परीक्षा प्रणाली में बहुत खामियां हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने आपको छोड़कर सबको जिम्मेदार ठहराया है।’ उन्होंने सवाल किया कि सरकार इस मामले में व्यवस्थागत स्तर पर

बाकी पेज 8 पर



लोकसभा में आमने-सामने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी।

प्रधानमंत्री का गला घोटने, आवाज दबाने का प्रयास हुआ : मोदी

नई दिल्ली, 22 जुलाई ( ब्यूरो )।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आरोप लगाया कि संसद के पिछले सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष ने ढाई घंटे तक देश के ‘प्रधानमंत्री का गला घोटने’ और आवाज दबाने का प्रयास किया।



–**पूरी खबर पेज 9**

खुद को लोकतांत्रिक साबित करें प्रधानमंत्री : कांग्रेस

–**पेज 8**

सरकारी कर्मियों पर से रोक हटाने की हमने नहीं की थी मांग : आरएसएस

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जुलाई।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक हटाने के केंद्र सरकार के फैसले का सोमवार को स्वागत किया।

प्रतिबंध हटाने संबंधी सरकारी आदेश के सार्वजनिक होने के एक दिन बाद आरएसएस प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने एक बयान में कहा कि सरकार का ताजा फैसला उचित है और यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करेगा।

आरएसएस ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध हटाने की हमारी ओर से कोई मांग नहीं की गई थी, और न ही यह बैठकों का मुद्दा था।

उसने पूर्ववर्ती सरकारों पर अपने राजनीतिक हितों के कारण सरकारी कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित करने का आरोप भी लगाया। प्रतिबंध हटाने संबंधी सरकारी आदेश के सार्वजनिक होने के एक दिन बाद आरएसएस प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने एक बयान में कहा कि सरकार का ताजा फैसला उचित है और यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करेगा।

सरकार ने कहा, बिहार को विशेष दर्जा देने का मामला नहीं बनता

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जुलाई।

संसद के दोनों सदनों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाने के बीच सरकार ने 2012 में तैयार एक अंतर-मंत्रालयी समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोमवार को कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं बनता है।

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में जहां एक प्रश्न के माध्यम से यह

मुद्दा उठाया गया, वहीं राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने शुन्यकाल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज,

दोनों देने की मांग उठाई। संसद सत्र से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सहयोगी पार्टियों सहित बिहार के कुछ दलों द्वारा राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग उठाई गई थी। लोकसभा में जनता दल (एकी)

के सदस्य रामप्रीत मंडल ने प्रश्न किया था कि क्या सरकार

**लोकसभा में जद ‘एकी’ व राज्यसभा में राजद ने उठाई मांग।**

बाकी पेज 8 पर

निपाह : जान गंवाने वाले लड़के के संपर्क में आए 406 लोगों में संक्रमण का खतरा

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जुलाई।

दुर्लभ संक्रमण से जान गंवाने वाले 14 वर्षीय लड़के के संपर्क में आने के कारण निपाह वायरस से संक्रमित होने के खतरे का सामना करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 406 हो गई है, जिनमें से 194 लोग उच्च जोखिम की श्रेणी में हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री विना जार्ज ने सोमवार को यह जानकारी दी।

केरल का स्वास्थ्य विभाग 13 लोगों के परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा है, जिनके नमूने परीक्षण के लिए कोझिकोड मेडिकल कालेज की विभाणु विज्ञान प्रयोगशाला और तिरुवनंतपुरम के ‘एडवॉरड वायरोलोजी इंस्टीट्यूट’ में भेजे गए थे।

उन्होंने कहा कि परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों में से छह व्यक्तियों में लक्षण दिखे हैं जिनमें से तीन लोग द्वितीयक संपर्क सूची के हैं। भले ही मृत लड़के के माता-पिता में लक्षण नहीं हैं फिर भी हमने सभी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए उनके नमूने भी परीक्षण के लिए भेजे हैं।’

स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि संपर्क में आए लोगों की सूची में दो व्यक्ति पलक्कड़ के हैं, जबकि चार तिरुवनंतपुरम के हैं। पलक्कड़ के दो लोग एक निजी अस्पताल में फिहलाल काम कर रहे हैं, जबकि तिरुवनंतपुरम के चार लोग इलाज के लिए पेरिथलमन्ना पहुंचे हैं।

बजट आज, संसद में आर्थिक समीक्षा पेश संभावनाएं अच्छी, पर झटकों के लिए तैयार रहे वित्तीय क्षेत्र

चालू वित्त वर्ष में 6.5 से 7.0 फीसद की वृद्धि दर रहने का अनुमान

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जुलाई।

देश के वित्तीय क्षेत्र के लिए परिदृश्य उज्ज्वल है, लेकिन उसे ‘झटकों’ के लिए तैयार रहने की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2023–24 पेश की। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और उनके दल ने लिखा है।

संसद में मंगलवार को बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले पेश सरकार की आर्थिक समीक्षा में चालू वित्त वर्ष में 6.5 से 7.0 फीसद की वृद्धि दर रहने का सतर्क अनुमान जताया गया है। साथ ही इसमें अर्थव्यवस्था में हर साल करीब 80 लाख नौकरियां सृजित करने की जरूरत के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चीन से अधिक प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का समर्थन किया गया है।

समीक्षा में खाद्य पदार्थों को छोड़कर, महंगाई का लक्ष्य तय करने पर गौर करने का भी सुझाव दिया गया है। प्रायः खाद्य वस्तुओं की ऊंची कीमतें मांग के बजाय आपूर्ति की समस्या के कारण होती हैं। इसमें बढ़ते शेयर बाजार को लेकर भी आगाह किया गया है। कहा गया है कि खुदरा निवेशकों की भागीदारी काफी बढ़ी है और अति आत्मविश्वास

बाकी पेज 8 पर

हर साल करीब 80 लाख नौकरियां सृजित करने की जरूरत पर जोर



संसद में सोमवार को आर्थिक समीक्षा पेश करती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

‘महंगाई पर गौर करना बंद करे आरबीआई’

नई दिल्ली, 22 जुलाई ( ब्यूरो )।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि रिजर्व बैंक को नीतिगत दर तय करने में खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर गौर करना बंद करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि गरीबों को ‘कूपन’ दे या सीधे नकदी।

सात फीसद वृद्धि दर का अनुमान मानसून पर निर्भर : मुख्य आर्थिक सलाहकार

पेज 10

बहस पूजा खेदकर और यूपीएससी में दिव्यांग कोटे का मामला

सवाल उठाकर विवादों में घिरीं वरिष्ठ अधिकारी

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जुलाई।

दिव्यांग मानदंडों के तहत परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) अधिकारी पूजा खेदकर की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच तेलंगाना की वरिष्ठ अधिकारी स्मिता सभरवाल ने अखिल भारतीय सेवाओं (एआइएस) में दिव्यांगों के लिए आरक्षण की आवश्यकता पर सवाल उठाकर विवाद खड़ा कर दिया है।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं ने आइएएस अधिकारी की टिप्पणियों को तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को ‘संकीर्ण दृष्टिकोण’ से नहीं देखा जाना चाहिए,

**अधिकारी** ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि चूंकि यह बहस जोर पकड़ रही है, इसलिए दिव्यांगों के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए, क्या कोई एअरलाइन किसी दिव्यांग को पायलट की नौकरी पर रखती है? या क्या आप किसी दिव्यांग सर्जन पर भरोसा करेंगे?

जिससे उनकी योग्यता पर सवाल खड़े हों। कुछ कार्यकर्ताओं ने अपना पक्ष रखने के लिए शीर्ष चिकित्सकों, सेना के जवानों और व्यापारियों का उदाहरण दिया।

शिवसेना (उद्धव) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने उनके विचार पर आपत्ति जताई।

सभरवाल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि चूंकि यह बहस जोर पकड़ रही है, इसलिए दिव्यांगों के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए कि क्या कोई एअरलाइन किसी दिव्यांग को पायलट की नौकरी पर रखती है? या क्या आप किसी दिव्यांग सर्जन पर भरोसा करेंगे? उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं (आइएएस, आइपीएस, आइएफओएस) की प्रकृति लंबे समय तक क्षेत्र में कार्य कर लोगों की शिकायतें सीधे सुनने की है, जिसके लिए शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है।

इस अग्रणी सेवा के लिए इस कोटे की क्या आवश्यकता है?’ इस पोस्ट पर शिवसेना (उद्धव) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे बहिष्कारवादी दृष्टिकोण

बाकी पेज 8 पर



एश्वोरन्स ऑफ दि लीडर



दि न्यू इन्डिया एश्वोरन्स कंपनी लि.

मना रहा है

स्थापना दिवस

23 जुलाई 2024 को

106वां

वर्ष देश सेवा को समर्पित

1919 - 2024

“हम पर भरोसा करने के लिए भारत देश का धन्यवाद”

हमारे प्रमुख उत्पाद

स्वास्थ्य बीमा

मोटर बीमा

परियोजना और बिजली बीमा

अग्नि बीमा

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

विमानन बीमा



NEW INDIA ASSURANCE

दि न्यू इन्डिया एश्वोरन्स कंपनी लिमिटेड  
The New India Assurance Co. Ltd

प्रधान कार्यालय: न्यू इंडिया एश्वोरेंस बिल्डिंग, 87, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001, भारत

IRDAI REGN No. 190CIN: L68000MH1919G0I000526Advt No.: NIA/24-25/191(H)

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

www.readwhere.com



